**भारत सरकार**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय**

**भारी उद्योग विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1349**

**जिसका उत्तर दिनांक मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है**

**पीएसयू द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का कार्यान्वयन**

**1349. श्री नतुजी हालाजी ठाकोर:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के निर्वहन में कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पीएसयू द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं की मुख्य विशेषताओं और प्रत्येक द्वारा आज की तारीख तक पीएसयू-वार और क्षेत्र-वार आबंटित/खर्च की गई निधियों की मात्रा को दर्शाते हुए संबंधित उपक्रम द्वारा उन कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित किए गए क्षेत्रों, यदि कोई हो, को इंगित करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएसयू को उनके मुख्यालय/उत्पादन इकाइयों से सुदूर क्षेत्रों में सीएसआर कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित करने की अनुमति भी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे बाहरी स्थानों जहां संबंधित पीएसयू द्वारा कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं और उनके लिए आबंटित/उन पर खर्च की गई निधि को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**

**(श्री प्रफुल पटेल)**

**(क) और (ख):** जी, हां। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी (डीपीई) दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम को कंपनी की लाभकारिता के आधार पर सीएसआर और धारणीय क्रियाकलापों/परियोजनाओं के लिए बजटीय नियतन करना आवश्यक है। हालांकि, रुग्ण/हानि उठा रही कंपनियों अथवा जिन कंपनियों की निवल संपत्ति ऋणात्मक है, उनके लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट निधियां अभिचिह्नित करना अनिवार्य नहीं होता है। भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विविध क्षेत्रों जैसे कि दक्षता विकास, स्वास्थ्य प्रबंधन, वनरोपण, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, अवसंरचना, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, विपत्ति/आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलाप करते रहे हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख/लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों पर प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न है।

**(ग) और (घ):** यद्यपि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनियां अपनी सीएसआर परियोजनाएं देश के किसी भी पिछड़ें इलाके में स्थापित कर सकती है, परन्तु भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने सीएसआर क्रियाकलापों का कार्यान्वयन अपने मुख्यालयों/उत्पादन इकाई से दूर के क्षेत्रों में नहीं किया है।

**अनुबंध**

**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख/लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों पर प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा**

| क्र. सं. | सीपीएसई का नाम | 2010-11 के दौरान प्रयुक्त निधियां | 2011-12 के दौरान प्रयुक्त निधियां | 2012-13 के दौरान प्रयुक्त निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 430.00 | 487.00 | 6311.00 |
| 2. | सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया | 126.00 | 16.00 | |
| 3. | हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. | 73.63 | 66.06 | 70.00 |
| 4. | हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. | 27.62 | 35.18 | 42.91 |
| 5. | राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स लि. | 6.40 | 15.30 | 17.58 |
| 6. | ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि. | 4.37 | 13.71 | 23.93 |
| 7. | हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. | 2.91 | 3.62 | 5.99 |
| 8. | बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. | 1.36 | 2.20 | 4.60 |
| 9. | भारत भारी उद्योग निगम लि. | 0.99 | 1.00 | |
| 10. | एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लि. | | 17.91 | 24.12 |

*****